न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 102/2023

1 चूंकि देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी हणमानाराम जाति जाट निवासी सेवद छोटी तहसील धोद जिला सीकर मो 9982478335

अपीलांट

बनाम

1 सिणगारी पत्नी स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी फागलवा तहसील धोद जिला सीकर

2 धापु देवी पत्नी स्व. रामेश्वर जाति जाट निवासी श्योता का बास तहसील धोद जिला सीकर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर

4 उप पंजीयक धोद जिला सीकर

5 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शखा फागलवा तहसील धोद जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर कम–2 महोदय सीकर प्रकरण सिणगारी वगै. बनाम चूकी देवी वगै. मुकदमा नम्बर 01/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरदयालसिंह सेवदा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 3/1/24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर कम–2 द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2009 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक दावा कतेई गलत तथ्यों व कानून के खिलाफ प्रस्तुत किया गया जो कानूनन चलने योग्य नहीं था वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने वाद पत्र में कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 461 रकबा 2.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 464 रकबा 4.09 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 475 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 476 रकबा 3.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.21 हैक्टेर वाके ग्राम सेवद छोटी तहसील धोद जिला सीकर को अपने दावे में पुश्तैनी होने का कथन कर विरासतन अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से तनकी संख्या 1 साबित नहीं की इसके विपरीत अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तनकी संख्या 1 का खण्डन अपनी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से किया है तथा कानूनी स्थिति भी स्पष्ट है कि हिन्दू औरत कानूनन दौहरा उत्तराधिकार प्राप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही कर सकती वादीगण ने स्व. जालूराम की पुत्री होने का कथन किया है जो सही है लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखुबी साबित है कि स्व. जालूराम की मृत्यु पर जो नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.06.1989 व नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 22.09.1995 जो तस्दीक किया गया है वा अन्तिम हो चुके है उनकी किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी गयी है तथा उसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 03.08.2000 जो कि अपीलान्ट के नाम से बाद जांच तस्दीक किया गया है वह भी अन्तिम हो चुका है उक्त नामान्तकरण को भी किसी के द्वारा अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। तनकी संख्या 1 वादीगण द्वारा साबित नहीं किया गया तथा प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा रेकार्ड पर यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिया गया था कि नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.06.1989 ग्राम सेवद छोटी जो जालुराम की विरासत का सही भरा गया था वादीगण दौहरा उत्तराधिकार प्राप्त करने हेतु यह दावा पेश किया है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संसोधन हो जाने के पश्चात दिनांक 20.12.2004 से पूर्व जिस सम्पत्ती का व्ययन हो चुका होता है उस बाबत कोई कानून दावा नही कर सकता वादी संख्या 1 सिंणगारी देवी अपने पति भगवाना राम की वारिस है जिसकी मृत्यु होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 1023 दिनांक 20.09.2016 ग्राम फागलवा भरा गया है इसी प्रकार धापुदेवी के हक ने अपने स्व. रामेश्वर की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 05.06.2017 ग्राम श्योता का बास भरा गया है इस प्रकार वादीगण दौहरा उत्तराधिकार कानून प्राप्त नही कर सकती वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 को स्पष्ट किया है कि दिनांक 20. 12.2004 से पूर्व जिन सम्पत्तियों का व्ययन हो चुका है उस बाबत कोई दावा पेश नहीं किया जा सकता तथा हिन्दू स्त्री को कानूनन दौहरा उत्तराधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकता तथा कोई भी दावा काश्तकार या उप–काश्तकार ही कर सकता है तथा अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में कानूनी स्थिति स्पष्ट की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

थी कि धारा 88 व 19 सपठित धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि घोषणा का दावा 3 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता है विलम्ब से दावा किये जाने पर उसे किसी तरह की खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते धारा 88 व 19 में दावा डिक्री नहीं होगा यदि दावा करने वाले का सम्वत् 2012 में प्रश्नगत भूमियों पर कब्जा नहीं है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रश्नगत भूमियों पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विवाहित पुत्री पैतृक सम्पति में हक का दावा नही कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। इसके अभाव में वाद वादी चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन नहीं किया है अपितु सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती कब्जे व खातेदारी की पैत्रक कृषि भूमियां है। स्व. जालू के कोई जायदा पुत्र न होने से स्व. हणमानाराम को गोद लिया था। जिसकी एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 चुंकी देवी है स्व. हणमानाराम के अन्य कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं है इस प्रकार प्रतिवादीया, वादियागण के दत्तक भाई की बहू है वाद वर्णित आराजियात पैतृक कृषि भूमि होने से खसरा नम्बर 461, 462, 464 कुल किता 3 कुल रकबा 6.88 हैक्टेर के वादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा और प्रतिवादिया संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 475 व 476 कुल किता 2 कुल रकबा 3.21 हैक्टेर में वादीगण प्रत्येक का 1/24–1/24 एवं प्रतिवादिया 1/24 हिस्से की खातेदारी काबिज काश्तकार है। उक्त विवादित आराजियात का विधिवत बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादियागण व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादिया अन्दाजे से काश्त काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता स्व. जालू फौत होने पर उक्त आराजियात का विरासत का नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 08.06.1989 व नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 22.09.1995 ग्राम सेवद छोटी अवैध व बिना किसी किस्म की जांच किये व वादियागण को बिना नोटिस दिये साजिस पूर्वक स्व. हणमानाराम अकेले के हक में अंकित करवा लिया। वादियागण के दत्तक भाई हणमानाराम के फौत होने पर उक्त वर्णित गलत व अवैध नामान्तकरण के आड़ में प्रतिवादिया संख्या 1 ने मिलिभगत कर बिना किसी किस्म की जांच किये व वादियागण को बिना सूचना दिये साजिस पूर्वक अपने अकेली के हक में नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 03.08.2000 ग्राम सेवद छोटी अंकित करवा लिया। जो गलत अवैध व विधि विरूद्ध है व बैंक से ऋण ले लिया। गलत राजस्व रेकार्ड की दुरूस्ती करवाकर अपने वैध खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने की वादियागण कानून हकदार है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादीगण ने अपना वाद साबित किया है। वादी ने जालु की विरासत के आधार पर अनुतोष चाहा था। इसलिए अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। एआईआर 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से भी वादी का वाद पुष्ट होता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष द्वारा दस्तावेज प्रदर्श संख्या 1 जमाबंदी संवत 2062–65, प्रदर्श संख्या 2 जमाबंदी संवत 2046–2049, प्रदर्श संख्या 3 जमाबंदी संवत 2096–20, प्रदर्श संख्या 4 जमाबंदी संवत 2062–65, प्रदर्श संख्या 5 जमाबंदी संवत 2096–2020 प्रदर्श 6 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत 2062 से 65 प्रदर्श 8 जमाबंदी संवत 2062–65 प्रदर्श 9 जमाबंदी संवत 2046–2049 प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत 2033–2036 प्रदर्श 11 जमाबंदी संवत 2033–2036 प्रदर्श 12 नामान्तकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 18 दिनांक 08.06.1989 प्रदर्श 13 नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 22.09.1995 प्रदर्श 14 नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 03.08.2000 प्रदर्श 15ए मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 21 दिनांक 26.11.2008 प्रदर्श 16ए वारीस प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में इन दस्तावेज पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। केवल मात्र यह अंकन कर कि इन दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि सिणगारी व धापू जालुराम की जायन्दा पुत्रियां साबित है। केवल यह अंकन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया हैं। बिना किसी विवेचन के विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दावा मियाद बाहर होने का उज्र उठाया गया है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा मियाद के सन्दर्भ में कोई तनकी ही कायम नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मियाद के संदर्भ में तनकी कायम कर उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.1.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सींकरिया)
भ.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर